वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2013

सा.का.नि. 18.—राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात्, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा अनुभाग अधिकारी (लेखा) और अनुभाग अधिकारी (लेखापरीक्षा) भर्ती नियम, 1988, अनुभाग अधिकारी (वाणिज्यिक लेखा परीक्षा) भर्ती नियम, 1988, सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, भर्ती नियम, 2001, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (वाणिज्य), भर्ती नियम, 2001, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग (सहायक लेखा अधिकारी और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी) भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पद पर लागू होंगे ।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद संख्या, उनका वर्गीकरण और उसका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधिके अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा ।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. सहायक लेखा अधिकारी	2871* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 2, 9300—34800 रु. (ग्रेड वेतन 4800 रु.)	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।)

(6)
टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं । **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति और प्रोन्नत व्यक्ति के लिए दो वर्ष **टिप्पण :** समूह "ख" में प्रोन्नत व्यक्ति के लिए कोई परिवीक्षा अवधि नहीं ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा . **टिप्पण 1 :** सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा	**प्रोन्नति :** ऐसे विभागीय अभ्यर्थी जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या उनके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण है ।

(10)	(11)
के आधार पर किया जाएगा । **टिप्पण 2** : सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति दो वर्ष के लिए सहायक लेखा अधिकारी के रूप में परिवीक्षा पर नियुक्त किए जाएंगे । सहायक लेखा अधिकारी के रूप में पुष्टि और नियमित नियुक्ति के लिए उसे या उसको परिवीक्षा अवधि के भीतर "अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा" अर्हित करना होगा ।	**प्रतिनियुक्ति या आमेलन :** (i) सहायक लेखा अधिकारी या भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग की किसी अन्य लेखा और हकदारी कार्यालयों से अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर्मचारीवृन्द, जिसके न हो सकने पर; (ii) सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी या भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग के किसी अन्य लेखा परीक्षा कार्यालयों से अधीनस्थ लेखा परीक्षा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर्मचारीवृन्द और दोनों के न हो सकने पर; (iii) केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी लेखा या लेखा परीक्षा संगठन में किसी समतुल्य परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर्मचारीवृन्द । पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।) **टिप्पण** : प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) की संरचना :— (i) महानिदेशक/प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार/प्रधान निदेशक की पंक्ति का संवर्ग नियंत्रक अधिकारी (ii) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट महानिदेशक/प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार/प्रधान निदेशक पंक्ति के दो अन्य अधिकारी (उपरोक्त में ज्येष्ठतम अध्यक्ष होगा)	सीधी भर्ती करते समय और किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या आमेलन के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

टिप्पण : (1) अनुभाग अधिकारी (लेखापरीक्षा/लेखा) के लिए मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3(i) तारीख 19-3-1988 में सा.का.नि. 173 तारीख 12-2-1988 द्वारा पृष्ठ संख्या 746—750 पर प्रकाशित किए गए थे और उनका शुद्धि-पत्र भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3(i) तारीख 15-6-1988 में सा.का.नि. 536 तारीख 2-7-1988 द्वारा पृष्ठ 1994 पर प्रकाशित किया गया था ।

(2) पहला संशोधन भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3 (i) तारीख 3-12-1994 में सा.का.नि. 596 तारीख 15-11-1994 द्वारा पृष्ठ 2012—14 पर प्रकाशित किया गया था।

(3) दूसरा संशोधन भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3 (i) तारीख 10-8-2002 में सा.का.नि. 306 तारीख 24-7-2002 द्वारा पृष्ठ 1639—1643 पर प्रकाशित किया गया था और उसका शुद्धिपत्र सा.का.नि. 108 तारीख 25-2-2003 द्वारा पृष्ठ 601 पर प्रकाशित किया गया था।

(4) तीसरा संशोधन भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3 (i) सा.का.नि. संख्यांक 117-118 तारीख 22-8-2009 द्वारा पृष्ठ 438-439 पर प्रकाशित किया गया था।

(5) सहायक लेखा अधिकारी/सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी के लिए नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3 (i) सा.का.नि. 554 तारीख 21-9-2001 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	9483* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 2, 9300—34800 रु. (ग्रेड वेतन 4800 रु.)	चयन	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

(7)	(8)	(9)
आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में डिग्री या बी.बी.ए. (वित्त) या सी.ए. या आई.सी.डब्ल्यू.ए. या सी.एस. **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2 :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति और प्रोन्नत व्यक्ति के लिए दो वर्ष। **टिप्पण :** समूह "ख" में प्रोन्नत व्यक्ति के लिए कोई परिवीक्षा अवधि नहीं।

(7)
पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तयों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भवना नहीं है ।

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा दोनों के ना हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा । **टिप्पण 1 :** सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित प्रवेश परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । **टिप्पण 2 :** सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति दो वर्ष के लिए परिवीक्षा पर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाएंगे । सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में पुष्टि और नियमित नियुक्ति के लिए उसे या उसको परिवीक्षा अवधि के भीतर "अधीनस्थ लेखा-परीक्षा सेवा परीक्षा" अर्हित करना होगा ।	**प्रोन्नति :** ऐसे विभागीय अभ्यर्थी जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक या उनके द्वारा विनिर्ष्टि किसी प्राधिकारी द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखापरीक्षा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण है । **प्रतिनियुक्ति या आमेलन :** (1) सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी या भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग के किसी अन्य लेखापरीक्षा कार्यालयों से अधीनस्थ लेखापरीक्षा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर्मचारीवृन्द, जिसके न हो सकने पर; (2) सहायक लेखा अधिकारी या भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के किसी अन्य लेखा और हकदारी कार्यालयों में अधीनस्थ लेखा-परीक्षा उत्तीर्ण कर्मचारीवृन्द और दोनों के न हो सकने पर; (3) केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी लेखा या लेखापरीक्षा संगठन में किसी समतुल्य परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर्मचारीवृन्द । पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।) **टिप्पण :** प्रतिनियुक्ति या आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति या पुष्टि के संबंध में विचार के लिए) की संरचना :— (i) महानिदेशक/प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार/प्रधान निदेशक की पंक्ति का संवर्ग नियंत्रक अधिकारी	सीधी भर्ती करते समय और किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति या आमेलन के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

(12)
(ii) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नामनिर्दिष्ट महानिदेशक/प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार/प्रधान निदेशक पंक्ति के दो अन्य अधिकारी (उपरोक्त में ज्येष्ठतम अध्यक्ष होगा)

[फा. सं. ए-12018/3/2010-ई.जी.]

अनिल शर्मा, अवर सचिव

टिप्पण : (1) अनुभाग अधिकारी (लेखापरीक्षा/लेखा) के लिए मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3 (i) तारीख 19-3-1988 में सा.का.नि. 172-173 तारीख 12-2-1988 द्वारा पृष्ठ संख्या 742—750 पर प्रकाशित किए गए थे और उसका शुद्धिपत्र भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3 (i) तारीख 15-6-1988 में सा.का.नि. 535-536 तारीख 2-7-1988 द्वारा पृष्ठ 1993-1994 पर प्रकाशित किया गया था।

(2) पहला संशोधन भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3 (i) तारीख 3-12-1994 में सा.का.नि. 595-596 तारीख 15-11-1994 पृष्ठ 2011—14 पर प्रकाशित किया गया था।

(3) दूसरा संशोधन भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3 (i) तारीख 10-8-2002 में सा.का.नि. 305-306 तारीख 24-7-2002 पृष्ठ 1632—1643 तथा शुद्धिपत्र सा.का.नि. 108 तारीख 25-2-2003 द्वारा पृष्ठ 601 पर प्रकाशित किया गया था।

(4) तीसरा संशोधन भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3 (i) सा.का.नि. संख्यांक 117-118 तारीख 22-8-2009 पृष्ठ 438-439 पर प्रकाशित किया गया था।

(5) सहायक लेखा अधिकारी/सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (वाणिज्य) के लिए नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3 (i) सा.का.नि. 554 एवं 556 तारीख 21-9-2001 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Expenditure)

New Delhi, the 10th January, 2013

G.S.R. 18.—In exercise of the powers conferred by clause (5) of article 148 of the Constitution and in supersession of the Indian Audit and Accounts Department, Section Officer (Accounts) and Section officer (Audit) Recruitment Rules, 1988, Section Officer (Commercial Audit) Recruitment Rules, 1988, Assistant Accounts Officer and Assistant Audit Officer, Recruitment Rules, 2001, Assistant Audit Officer (Commercial), Recruitment Rules, 2001, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President after consultation with the Comptroller and Auditor General of India, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment in the field offices of the Indian Audit and Accounts Department to the posts of Assistant Accounts Officer and Assistant Audit Officer, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indian Audit and Accounts Department (Assistant Accounts Officer and Assistant Audit Officer) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—These rules shall be applicable to the post specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and Pay Band and Grade pay or Pay Scale.**—The number of the said posts, its classification and the Pay Band and Grade pay or Pay Scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualifications.** —No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Comptroller and Auditor General of India may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

4858 GI/13—10

6. **Power to relax.**—Where the Comptroller and Auditor General of India is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time in this regard as applicable to persons employed in the Indian Audit and Accounts Department.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Assistant Accounts Officer	2871* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band -2, Rs. 9300—34800 (Grade Pay Rs. 4800)	Selection	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note** : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential : Bachelor's Degree from a recognized University. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for the reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified.	Not applicable	Two years for direct recruits and promotees. **Note** : No probation for Group 'B' Promotees.

(7)
Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By promotion failing which by deputation or absorption failing both by direct recruitment. **Note :— 1.** The direct recruits will be selected on the basis of an entrance examination conducted by the Union Public Service Commission. **Note :— 2.** Direct recruits will be appointed as Assistant Accounts Officer on probation for a period of two years. During the period of probation he or she shall have to qualify the "Subordiante Accounts Service Examination" for confirmaton and regular appointment as Assistant Accounts Officer.	**Promotion** Departmental candidates who have passed the Subordianate Accounts Service Examination conducted by the Comptroller and Auditor General of India or any authority specified by him. **Deputation or absortion :** (i) Assistant Accounts Officers or Subordinate Accounts Service Examination passed staff from any other Accounts and Entitlement office of the Indian Audit and Accounts Department, failing which; (ii) Assistant Audit Officers or Subordiante Audit Service Examination passed staff from any Audit office of the Indian Audit and Accounts Department and failing both; (iii) Staff qualified in any equivalent examination in any accounting or audit organization under the Central Government. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation or absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications). **Note :** For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission,

(11)
except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay or Pay Scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay or Pay Scale is the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Composition of Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion or confirmation) :— 1. Cadre Controlling Officer in the rank of Director General or Principal Accountant General or Accountant General or Principal Director 2. Two other officers of the rank of Director General or Principal Accountant General or Accountant General or Principal Director to be nominated by the Comptroller and Auditor General of India (The senior most of them shall be the Chairperson)	Consultation with the Commission is necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation or absorption.

Note : (1) The principal rules for Section Officer (Audit/Accounts) were published in Gazette of India, Part II, Section 3(i) dated 19-3-1988 GSR 173 dated 12-2-1988 at pages 746—750 and corrigendum dated 15-6-1988 was published in Gazette of India, Part II, Section 3(i) dated 2-7-1988 at pages 1994 vide GSR 536.

(2) First amendment was published in Gazette of India, Part II, Section 3(i) dated 3-12-1994 vide GSR 596 dated 15-11-1994 at pages 2012—14.

(3) Second amendment was published in Gazette of India, Part II, Section 3(i) dated 10-8-2002 GSR 306 dated 24-7-2002 at pages 1639—1643 and corrigendum vide GSR No. 108 dated 25-2-2003 at page 601.

(4) Third amendment was published in Gazette of India, Part II, Section 3(i) vide GSR 117 and 118 dated 22-8-2009 at pages 438-439.

(5) The rules for Assistant Accounts Officer/Assistant Audit Officer were published in Gazette of India, Part II, Section 3(i) GSR 554 dated 21-9-2001.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Assistant Audit Officer	9483* (2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band -2, Rs.9300—34800 (Grade Pay Rs. 4800)	Selection	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam,

(6)
Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)
Essential : Bachelor's Degree in Commerce or BBA (Finance) from a recognized University or C.A. or I.C.W.A. or C.S. **Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for the reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2 :** The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Not applicable	Two years for direct recruits and promotees **Note :** No probation for Group 'B' Promotees

(10)	(11)
By promotion failing which by deputation or absorption failing both by direct recruitment. **Note :— 1.** The direct recruits will be selected on the basis of an entrance examination conducted by the Union Public Service Commission. **Note :— 2.** Direct recruits will be appointed as Assistant Audit Officer on probation for a period of two years. During the period of probation he or she shall have to qualify the "Subordiante Audit Service Examination" in respective branches for confirmaton and regular appointment as Assistant Audit Officer.	**Promotion** Departmental candidates who have passed the "Subordianate Audit Service Examination" conducted by the Comptroller and Auditor General of India or any authority specified by him. **Deputation or absorption :** (I) Assistant Audit Officers or Subordinate Audit Service Examination passed staff from any other Audit office of the Indian Audit and Accounts Department, failing which; (II) Assistant Accounts Officer or Subordiante Accounts Service Examination passed staff from any Accounts and Entitlement office of the Indian Audit and Accounts Department and failing both; (III) Staff qualified in any equivalent examination in any accounting or audit organization under the Central Government. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for

4858 GI/13-11

	(11)
	appointment on deputation or absorption. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. (The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation or absorption shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications). **Note :** For the purpose of appointment on deputation or absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common Grade Pay or Pay Scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that Grade Pay or Pay Scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)	(13)
Composition of Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering promotion or confirmation :— 1. Cadre Controlling Officer in the rank of Director General or Principal Accountant General or Accountant General or Principal Director 2. Two other officers of the rank of Director General or Principal Accountant General or Accountant General or Principal Director to be nominated by the Comptroller and Auditor General of India (The senior most of them shall be the Chairperson)	Consultation with the Commission is necessary while making direct recruitment and appointing an officer on deputation or absorption.

[F. No. A-12018/3/2010-EG]

ANIL SHARMA, Under Secy.

Note : (1) The principal rules for Section Officer (Audit/Accounts) were published in Gazette of India, Part II, Section 3(i) dated 19-3-1988 G.S.R. 172 and 173 dated 12-2-1988 at pages 742—750 and corrigendum dated 15-6-1988 was published in Gazette of India, Part II, Section 3(i) dated 2-7-1988 at pages 1993-1994 vide G.S.R. 535 and 536.

(2) First amendment was published in Gazette of India, Part II, Section 3(i) dated 3-12-1994 vide G.S.R. 595 and 596 dated 15-11-1994 at pages 2011—14.

(3) Second amendment was published in Gazette of India, Part II, Section 3(i) dated 10-8-2002 G.S.R. 305 and 306 dated 24-7-2002 at pages 1632—1643 and corrigendum vide G.S.R. No. 108 dated 25-2-2003 at page 601.

(4) Third amendment was published in Gazette of India, Part II, Section 3(i) vide G.S.R. Nos. 117 and 118 dated 22-8-2009 at pages 438-439.

(5) The rules for Assistant Accounts Officer/Assistant Audit Officer and Assistant Audit Officer (Commercial) were published in Gazette of India, Part II, Section 3(i) G.S.R. 554 dated 21-9-2001 and G.S.R. 556 dated 21-9-2001.